उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 09/2011

स्नेहलता प्रसाद बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
23-03-2018	**– आदेश –**	

अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर आवेदिका अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पिछले तिथियों से लगातार आवेदिका अनुपस्थित चली आ रहीं हैं, फलतः वाद के प्रति अरूचि एवं उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक 2234 दिनांक 20.12.2010 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं आवेदिका द्वारा दायर आवेदन तथा संलग्नक कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा रामगढ़, थाना नं0–82, खाता नं0– 02, प्लॉट नं0– 1485, 1491 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है। उक्त खाता से संबंधित आवेदिका श्रीमति स्नेहलता प्रसाद, पति– चितरंजन प्रसाद के नाम से राजस्व पंजी– II के पृ0सं0–142/28 रकवा–15.05 एकड़ भूमि से संबंधित कायम जमाबन्दी प्रथम दृष्टिया में संदिग्ध प्रतित् होता है।

अतः आवेदिका के द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु दायर आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। साथ ही प्रश्नगत भूमि से संबंधित **राजस्व पंजी– II के पृ0सं0–142/28, खाता नं0–02 रकवा–15.05 एकड़ भूमि श्रीमति स्नेहलता प्रसाद, पति– चितरंजन प्रसाद के नाम से कायम जमाबन्दी को स्थगित** रखते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी, सृजन एवं भूमि के वर्त्तमान स्वरूप की विस्तृत बिन्दुओं की जाँच करेंगे कि किस स्थिति में गैरमजरूआ भूमि का जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है तथा जमाबन्दी अवैध पाये जाने की स्थिति में दोषी कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।